रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 12, 2004/पौष 22, 1925

No. 41] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 12, 2004/PAUSA 22, 1925

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2004

(आयकर)

का.आ. 47(अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आयकर नियम, 1962 के परिशिष्ट 2 के प्ररूप सं0 16 में मद 13 से मद 17 के स्थान पर निम्नलिखित मदें रखीं जाएंगी, अर्थात् :-

"13. अध्याय 8-क के अधीन रिबेट

I धारा 88 के अधीन

(कृपया. विनिर्दिष्ट करें)

	सकल रकम	अर्हक रकम	कर रिबेट
(क)	रु0	रु0	रु0
(ख)	रु0	रु0	
(ग)	रु0	रु0	
(घ)	रु0	रु0	
(ङ)	रु0	रु0	
(च) योग [(क) से (ङ)]	रु0	रु0	रु0

II. (क) धारा 88ख के अधीन			रु0
(ख) धारा 88ग के अधीन			रु0
14. ऊपर 13 पर कर रिबेटों का योग [I (च) + II (क) + II(ख)]			रु0
15. कुल आय (12 - 14) पर संदेय कर और उस पर अधिभार			रु0
16. धारा 89 के अधीन अनुतोष (ब्यौरे संलग्न करें)			रु0
17. संदेय कर (15 - 16)			रु0
18. घटाएं : (क) धारा 192 (1) के अधीन स्रोत पर की गई कर कटौती		रु0	
(ख) धारा 192 (1क) के अधीन कर्मचारी की ओर से धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों पर नियोजक द्वारा संदाय किया गया कर		रु0	रु0
19. संदेय/प्रतिदेय कर (17 - 18)			रु0 "।

[अधिसूचना संख्यांक 9/2004/फा. सं. 142/37/2003-टीपीएल]

दीपिका मित्तल, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल नियम अधिसूचना संख्या का.आ. 969(आ) तारीख 26 मार्च, 1962 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1335(अ) तारीख 21-11-03 के अधीन आयकर कर (अठाईसवां संशोधन) नियम, 2003 द्वारा किया गया।